



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, जुलाई 22—जुलाई 28, 2012, शनिवार/आषाढ़ 31—श्रावण 6, 1934
No. 30] NEW DELHI, JULY 22—JULY 28, 2012, SATURDAY/ASADHA 31—SHRAVANA 6, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2005 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन) भर्ती नियम, 2012 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक महारजिस्ट्रार (सामाजिक अध्ययन)	1* (2012) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड-3, रु. 15600—39100 (ग्रेड पे 7600 रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)	(11)
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त निकाय संगठनों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा

(11)

- (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-3, रु. 15600—39100 और रु. 6600 ग्रेड पे अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

अनिवार्य :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नृविज्ञान (संस्कृति अथवा सामाजिक नृविज्ञान में विशेषज्ञता सहित) अथवा समाज-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; और
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्द्ध-सरकारी या सौविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों में सामुदायिक अध्ययन के विशेष संदर्भ सहित समाज विज्ञान अथवा सामाजिक नृविज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण और अनुसंधान की सहभागिता और मार्गदर्शन का दस वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नृविज्ञान (संस्कृति अथवा सामाजिक नृविज्ञान में विशेषज्ञता सहित) अथवा समाज-विज्ञान में डाक्टर की उपाधि ।

टिप्पणी 1 : पे बैण्ड-3, (15600—39100 रु.) और 6600 रु. ग्रेड पे में पांच वर्षों की नियमित सेवा वाले और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान अथवा नृविज्ञान (संस्कृति अथवा सामाजिक नृविज्ञान में विशेषज्ञता सहित) में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी पर बाहर से आए उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद के लिए उसका चयन हो जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा ।

टिप्पणी 2 : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए 1-1-2006 से पहले या वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, की गई नियमित सेवा को तदनुसूची ग्रेड पे या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

टिप्पणी 3 : फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पणी 4 : केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (संविदा की अल्पकालिक अवधि सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 5 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी 6 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले अथवा वह तिथि जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, की गई नियमित सेवा को तदनुसूची ग्रेड पे या वेतनमान में की गई

(11)

सेवा माना जाएगा सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड में समान ग्रेड पे या वेतनमान में आमेलित कर दिए गए हैं; और जहां यह लाभ केवल उन पदों को मिल रहा है जिनके लिए उक्त ग्रेड पे या वेतनमान बगैर किसी उन्नयन सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के हैं।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है

भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

लागू नहीं

पद पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-16011/1/2004-प्रशा.-2/प्रशा.-5]

पंकज कुमार देवरानी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 23rd July, 2012

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India Assistant Registrar General (Social Studies) Recruitment Rules, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar General (Social Studies) in the office of the Registrar General, India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Assistant Registrar General (Social Studies), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, Classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Registrar General (Social Studies)	1* (2012)G *Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	PB-3, Rs. 15600—39100 (Grade Pay Rs. 7600)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made

(10)	(11)
Promotion/deputation (including short term contract)	<p>Promotion/Deputation (including short-term contract) :</p> <p>Officers of the Central Government or the State Governments or Union Territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3, Rs. 15600—39100 and Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :—</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Anthropology (with specialization in Cultural or Social Anthropology) or Sociology from a recognized University; and</p> <p>(ii) Ten years' experience in participation and guidance of investigation and research in the field of Sociology or Social Anthropology with special reference to community studies in the Central Government or the State Governments or Union Territories or Universities or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.</p>

(11)

Desirable :

Doctorate degree in Anthropology (with specialisation in Cultural or Social Anthropology) or Sociology from a recognised University.

Note 1 : The departmental Senior Research Officer (Social Studies) in the Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) and Grade Pay of Rs. 6600 with five years' regular service in the grade and possessing Master's degree in Sociology or Anthropology (with specialization in Cultural or Social Anthropology) from a recognized University shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Note 3 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 4 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 5 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 6 : For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition

(12)

Not applicable

Circumstances in which Union Public Service
Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

Consultation with Union Public Service Commission
necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/1/2004-Ad.-II/Ad.-V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.